कार्यालय मुख्य अभियन्ता(स्तर–2)
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड हल्द्वानी

पत्रांक –डी–638/सीई (स्तर–2)/जे–1/जमरानी/ दिनांक 14 दिसम्बर 2020

विषय–जमरानी बांध परियोजना की SIA(Social Impact Assessment) प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।

उपरोक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि जमरानी बांध परियोजना की SIA प्रक्रिया में RFCTLARR Act 2013 में निहित प्राविधानानुसार निम्न कार्यवाही सम्पन्न की गई है:–

1– मै0 मैन्टेक कन्सलटेन्ट्स प्रा0लि0 नोएडा को चयनोपरान्त परियोजना प्रभावित ग्रामों की SIA प्रक्रिया कन्सलटेन्ट द्वारा दिनांक 03.01.2020 को प्रारम्भ की गई।

2– SIA की ड्राफ्ट रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन तथा प्रभावित क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों को माह जुलाई में सुझाव प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करायी गई।

3–सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का दैनिक अखबार अमर उजाला में दिनांक 19.10.2020 को प्रकाशन हुआ व विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 16.10.2020 को अपलोड किया गया तथा सामाजिक समाघात मूल्यांकन निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रभावित क्षेत्र में पोस्टरों के माध्यम से प्रचारित किया गया।

4–सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा बैठकों उपरान्त अपनी मूल्यांकन आख्या दिनांक 09.11.2020 को प्रस्तुत की गई एवं इस कार्यालय के पत्रांक–डी–559/सीई (स्तर–2)/जे–1/जमरानी/दिनांक 11.11.2020 को प्रमुख अभियन्ता (नियोजन अनुभाग) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित की गई है (प्रति संलग्न)।

कृपया उपरोक्त सूचना महोदय को इस आशय से प्रेषित है कि SIA रिपोर्ट (प्रति संलग्न) तथा बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन आख्या शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अपने स्तर से उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(संजय शुक्ल)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)

पत्रांक– डी–638/सीई (स्तर–2)/जे–1/जमरानी/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अधीक्षण अभियन्ता परियोजना मण्डल जमरानी हल्द्वानी।

2– अधिशासी अभियन्ता (पुनर्वास), जमरानी बांध निर्माण खण्ड–2 हल्द्वानी।

(संजय शुक्ल)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)

Scanned with CamScanner

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट के आंकलन हेतु गठित बहु–शाखीय विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन आख्या।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य हल्द्वानी व आस–पास के क्षेत्र की पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ–साथ, सिंचाई क्षमता (नैनीताल, उधमसिंह नगर, रामपुर व बरेली जिलों में) व 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के साथ–साथ मत्स्य पालन एवं पर्यटन को विकसित करना है। इसके निर्माण के फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा। बॉध की ऊचाई 130.6 मी0 (नदी तल से) होगी बांध बनने के उपरान्त जलाशय का फुल रिज़रवोयर लेवल (FRL) 762.00 मी0 (एफ0आर0एल0) होगा। बांध के डूब क्षेत्र में ग्राम मुरकुडिया, पनियाबोर, उडवा, पस्तोला व तिलवाड़ी आंशिक रूप से व गनराड गांव पूर्ण रूप से प्रभावित होगें तथा बांध निर्माण के प्रयोजनार्थ विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु भी भूमि की आवश्यकता को देखते हुए बांध के नीचे की ओर D/S में कुछ भूमि की आवश्यकता होगी विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना हेतु निर्मित होने वाले बांध की अधिकतम ऊँचाई आर0एल0 765.6 मी0 तक भूमि का सीमांकन कार्य कर लिया गया है। परियोजना से प्रभावित होने वाली निजी/नाप भूमि का आंकलन प्रभावित परिवारों एवं खाते धारकों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। परियोजना के परियोजनार्थ भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों के जीवन यापन पर पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों के शमन उपायों के दृष्टिगत सामाजिक समाघात के शमन/ न्यूनीकरण हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to fair Compensation And Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement Act, 2013) की उपधारा–7 (1) में निहित प्राविधानों के अनुरूप उत्तराखण्ड शासन सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्या 1153/(1)II(2)/–2020–17(06)/2015 टी0सी0 –II दिनांक 05.10.2020 द्वारा विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है। विशेषज्ञ समूह द्वारा दिनांक 16.10.2020 को सामाजिक समाघात के शमन/ न्यूनीकरण एवं रिर्पोट के मूल्यांकन हेतु बैठक सम्पन्न की गई।

विभागीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि जमरानी बांध प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन से प्रभावित क्षेत्र में ग्राम स्तर पर पडने वाले सामाजिक समाघात आंकलन हेतु सिंचाई विभाग द्वारा विशेषज्ञ संस्था मै0 मेन्टैक कन्सलटैन्सी प्रा0लि0 नोएडा उत्तर प्रदेश से अध्ययन कराया गया है। विभागीय अधिकारियों द्वारा सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट अध्ययन/मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

बिन्दु संख्या–1 अध्ययन रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में उक्त बांध से प्रभावित होने वाले ग्रामवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण करते हुए उल्लेख किया गया है।

बिन्दु संख्या–2 अध्ययन रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अध्ययन करने वाली संस्था तथा विभाग द्वारा ग्रामवासियों के साथ पिछले 8–10 महीनों से नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गई हैं। जिसमें उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ब्यौरा एकत्र किया गया है। जिसका समावेश सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट में किया गया है।

बिन्दु संख्या–3 एस0आई0ए0 सम्बन्धी अधिसूचना जारी होने के उपरान्त ग्रामवासियों के साथ समय–समय पर कई बैठकें आयोजित की गई। जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामवासियों की सभी समस्याओं को संकलित करते हुए अध्ययन रिपोर्ट में संलग्न किया जाये ताकि भविष्य में पुनर्वास योजना बनायी जा सके एवं शासन स्तर से समुचित तरीके से निर्णय हो सके।

बिन्दु संख्या–4 ग्रामवासियों के साथ आयोजित बैठकों का निष्कर्ष उनके द्वारा दी गई 12 सूत्रीय मागों के रूप में निकल कर आया। उनकी 12 सूत्रीय मागों को संकलित करते हुए अध्ययन रिपोर्ट में उनकी विवेचना की गई हैं (अध्याय 10, बिन्दु 10.3)।

बिन्दु संख्या– 5 RFCTLARR Act 2013 की धारा संख्या 04 की उपधारा 06 में उल्लेखित सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (SIMP) भी तैयार कर ली गई है, जिससें कि सामाजिक समाघात का न्यूनीकरण किया जा सके।

रिपोर्ट के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुल अनुमानित 415 प्रभावित परिवारों (965 जनसंख्या) तथा 821 भूमि खाते धारकों का उचित तरीके से पुनर्वास करते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना का निर्माण किया जा सकता है।

जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना कार्यो हेतु कुल 457.19 हे0 भूमि (351.55 हे0 वन भूमि, 49.343 हे0 निजी भूमि व अन्य भूमि) अधिग्रहित की जानी है जिसमें से 33.96 हे0 भूमि पूर्व में अधिग्रहित की जा चुकी है 351.55 हे0 वन भूमि प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। भूगर्भीय स्थिति के दृष्टिगत जमरानी बांध स्थल ही एक मात्र विशिष्ट स्थल हैं जहाँ परियोजना से निर्मित जलाशय उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों को पूरा करता है। अतः समुचित पुर्नवास करते हुए उक्त परियोजना का निर्माण किया जाना राज्य हित में होगा। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में तथा प्रस्तुत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के विश्लेषण के उपरान्त विशेषज्ञ समूह निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है:–

09.11.2020

Scanned with CamScanner

1. परियोजना के कारण प्रभावित होने वाली भूमि के बदले में भू–स्वामियों द्वारा भूमि की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में समिति का यह मत है कि समस्त भू–स्वामी पूर्व से ही सीमांत कृषक की श्रेणी में हैं अतः प्रभावित भू–स्वामियों को भूमि के बदले भूमि दी जानी उचित होगी।
2. ऐसे व्यक्ति जो RFCTLARR Act 2013 के प्राविधानों के अनुसार भूमि के बदले नगद प्रतिकर दिये जाने के सम्बन्ध में तथा ऐसी मांगें जिनका प्राविधान RFCTLARR Act 2013 अन्तर्गत आच्छादित नही है उन मांगों पर विचार/समाधान करने हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया जाना उचित होगा ताकि समय–समय पर ग्रामीणों की तत्कालिक समस्याओं का समाधान किया जा सके।
3. ग्रामीणों की 12 सूत्रीय मांगों का संज्ञान लेते हुए, परियोजना निर्माण के कारण पडने वाले प्रतिकूल प्रभावों का शमन/न्यूनीकरण करने हेतु पुनर्वास नीति निर्धारण करते समय सहानुभूति पूर्वक विचार करना उचित एवं आवश्यक होगा। ग्रामीणों द्वारा दिया गया 12 सूत्रीय मांगपत्र संलग्न है।
4. परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत 6 गांवों की चार ग्राम सभाऐं है 6 गांवों की 49.34 है0 निजी भूमि परियोजना बनने के पश्चात डूब जायेगी, 49.34 है0 भूमिका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क0स0	ग्राम सभा का नाम	ग्राम (तोक) का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)
1	मुरकुड़िया	तिलवाडी	4.188
		मुरकुड़िया	21.561
2	उड़वा	उड़वा	3.171
3	पनियाबोर	गनराड़	9.416
		पनियाबोर	4.226
4	पस्तोला	पस्तोला	6.782
कुल			49.343

5. डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि 49.343 है0 में कुल 821 खातेदार (भू–स्वामी) हैं। उक्त के अतिरिक्त डूब क्षेत्र में कुल 23 संख्या नॉन टाइटल होल्डर्स के सम्बन्ध में भी परियोजना अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है। पुनर्वास योजना गठित करते समय उक्त नॉन टाइटल होल्डर्स को भी समाहित किया जाना आवश्यक होगा।
6. RFCTLARR Act 2013 की दूसरी अनुसूची में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न लाभ दिये गये हैं जो वर्ष 2013 के मूल्य सूचकांक के आधार पर है। अतः भूमि अधिग्रहण के समय तत्कालीन मूल्य सूचकांक के अनुसार इनका पुनरीक्षण उचित होगा।
7. RFCTLARR Act 2013 की दूसरी अनुसूची में भूमि के लिए भूमि में निम्नानुसार प्राविधान किया गया है:–
"सिंचाई परियोजना की दशा में यथासम्भव और अर्जित भूमि के लिए संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर के बजाय, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वह वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणामस्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन की प्रास्थिति में आ गया है, प्रभावित कुटुंब से सम्बन्धित अधिकारों के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना के, जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ भूमि आबंटित की जाएगी: परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को, जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड़ भूमि जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जाएगी"
उक्त प्राविधान के सम्बन्ध में भी समुचित स्तर पर स्पष्ट निर्णय ले लिया जाए।
8. डूब क्षेत्र में आने वाली सिंचित व असिंचित भूमि हेतु एस0आई0ए0 सर्वे के दौरान पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में समस्त ग्रामवासियों ने अधिग्रहित होने वाली भूमि में से समस्त भूमि को सिंचित भूमि बताया है तथा यह अवगत कराया है कि उस भूमि में साल भर कृषि सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं। केवल मुरकुड़िया तोक में ही सिंचाई विभाग की नहर मौजूद है तथा अन्य तोकों में ग्रामसभा द्वारा बनाई गयी नहरें निर्मित हैं। समस्त तोकों में स्रोत/ नदी के जल से सिंचाई कार्य किया जाता है।
9. एस0 आई0 ए0 सर्वे के दौरान पूछे गये प्रश्नों के आधार पर लोगों का मुआवजे सम्बन्धी Perception निम्न प्रकार है।

09.11.2020

Scanned with CamScanner

क्र0सं0	मुआवजे का प्रकार	प्रभावित परिवारों द्वारा दिये गये उत्तर का प्रतिशत
1	जमीन के बदले जमीन	86
2	जमीन के बदले धनराशि	14
3	घर के बदले घर	81
4	घर के बदले धनराशि	7
5	अन्य	12

10. परियोजना अधिकारियो द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल ने पी0आई0एल0 संख्या– 138/2017 रवि शंकर बनाम उत्तराखण्ड राज्य में निर्णय पारित किया कि हल्द्वानी एवं निकटतम क्षेत्र की पेयजल की भीषण समस्या, बाढ सुरक्षा तथा सिंचाई हेतु जमरानी बांध का निर्माण अति आवश्यक है एवं जनहित के दृष्टि से बांध निर्माण से सम्बन्धित समस्त औपचारिक कार्यवाही तीन माह के भीतर पूर्ण करायी जाय ताकि लम्बे समय से चल रही परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके। उक्त निर्णय से परियोजना के व्यापक लोक प्रयोजन की महत्ता इंगित होती है। परियोजना के लाभ उसके सामाजिक समाघातो से अधिक हैं। अतः परियोजना के लोक प्रयोजन को दृष्टिगत सामाजिक समाघातो के शमन हेतु पर्याप्त एवं उचित समाधान लागू करते हुए परियोजना निर्माण किया जाना लाभकारी होगा।
11. परियोजना निर्माण के उपरान्त परियोजना से होने वाली सम्पार्श्विक क्षतियों (Collateral Damages) का आंकलन एवं समाधान समय–समय पर तत्कालिक स्थिति के अनुसार किया जाना उचित होगा।
12. चूंकि पुनर्वास एक मानवीय पहलू हैं, अतः परियोजना विशेष की स्थिति में विभिन्न ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण करते समय समुचित पुनर्वास हेतु भूमि की मूल्यांकन की दरों में एक रूपता रखना उचित होगा जिस हेतु नीति निर्धारण किया जा सकता है एवं उपरोक्त वर्णित मांगो पर सरकार विचार कर सकती है।

(डा० पूरन चन्द्र जोशी)
(सदस्य)
सामाजिक वैज्ञानिक
नमामि गंगे परियोजना, देहरादून

(श्री धर्मेन्द्र शर्मा)
(सदस्य)
सामाजिक वैज्ञानिक
ग्राम भौर्सा अमृतपुर

(श्री नवीन चन्द)
(सदस्य)
ग्रामसभा के प्रतिनिधि

(श्रीमती षष्टी राघव)
(सदस्य)
ग्रामसभा के प्रतिनिधि

(श्री मोहनचन्द्र पाण्डे)
(सदस्य)
सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड हल्द्वानी

(श्री संजय शुक्ल) 09/11/2020
(सदस्य)
अधीक्षण अभियन्ता
परियोजना मण्डल जमरानी हल्द्वानी

(श्री पी0सी0 नौटियाल)
(अध्यक्ष)
सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून,
नमामि गंगे परियोजना, देहरादून

Scanned with CamScanner